(119)

5953
10/8/11

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-प.10(35)नविवि/3/2010पार्ट-III दिनांक:- 16 AUG 2011

परिपत्र

विषय :- मास्टर प्लान में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में संस्थानिक (शैक्षणिक), वेयर हाउसिंग/गोदाम एवं सार्वजनिक सुविधाएं अनुज्ञेय किए जाने बाबत्।

राज्य के शहरो/करबो के मास्टर प्लान बनाते समय आवश्यकता अनुसार औद्योगिक क्षेत्र का आंकलन किया जाकर भू-उपयोग मानचित्र में औद्योगिक क्षेत्र को दर्शाया जाता है जिसमें से रीको द्वारा कुछ क्षेत्र में योजना बनाई जाती है एवं शेष क्षेत्र में अवाप्ति की कार्यवाही/औद्योगिक योजना विकसित नहीं किए जाने के कारण औद्योगिक आरक्षित भूमि से अन्य प्रयोजनार्थ-आवासीय/ संस्थानिक/व्यवसायिक आदि बाबत् निजी खातेदारो/स्थानीय निकायों द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया जाता है।

"रीको की औद्योगिक योजनाओं में औद्योगिक भूखण्डो के अतिरिक्त संस्थानिक (शैक्षणिक), वेयर हाउसिंग व गोदाम, सार्वजनिक सुविधाएं आदि उपयोग अनुज्ञेय किए जाने को दृष्टिगत रखते हुए, शहरो/करबो के मास्टर प्लान के प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में रीको के प्रस्तावों को छोडकर शेष प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में न्युनतम 5 एकड क्षेत्रफल की संस्थानिक (शैक्षणिक) एवं वेयर हाउसिंग/गोदाम तथा न्युनतम 500 वर्गमीटर तक की सार्वजनिक सुविधाएं अनुज्ञेय की जाती है, इसके लिए प्रकरणों मे भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।" निजी खातेदारी की योजना में उपरोक्त अनुज्ञेय प्रयोजन हेतु प्राप्त प्रकरणों में नियमानुसार पहुंच मार्ग की सुनिश्चितता एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/आदेश में उल्लेखित संबंधित प्रावधानो की पालना उपरांत भू-उपयोग परिवर्तन की राशि ली जाकर, स्थानीय स्तर पर आदेश जारी किए जाऐगें।

जिन शहरो/करबो के मास्टर प्लान/प्रारूप मास्टर प्लान बनाए जा रहे है उनमें उक्त अनुज्ञेय उपयोगो का उल्लेख किया जावेगा।

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन सचिव विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।

(295)

6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक(एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

12/8/2011

उप शासन सचिव–तृतीय

(11)
C.T.P.

(296)